भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3858
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

लद्दाख में निधि का उपयोग

3858. श्री मोहम्मद हनीफ़ा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिए जाने के बाद, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए मांगों के अनुदान के रूप में संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख द्वारा स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए उक्त मंत्रालय के बजटीय आवंटन के अंतर्गत स्वीकृत निधियों का अत्यधिक उपयोग नहीं हुआ है और यह 50 प्रतिशत से भी कम है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में बजटीय आवंटन को प्राथमिकता के आधार पर खर्च करने की कोई योजना है, क्योंकि निधियों के अप्रयुक्त होने से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ङ) **:** ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों को संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए कार्यान्वित कर रहा है। संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत स्वीकृत, जारी तथा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है: -

1. मनरेगा: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2025-26 (06.08.2025 तक) की अवधि के दौरान मनरेगा योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को 306.14 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
2. पीएमएवाई-जी:- संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा मिलने के बाद, 21.99 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश जारी किया गया है, जिसमें से 20.61 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।
3. पीएमजीएसवाई:- संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को 446.51 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2020-21 से अब तक पीएमजीएसवाई के तहत 432.90 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।
4. डीएवाई-एनआरएलएम:- डीएवाई-एनआरएलएम के तहत संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 (30.06.2025 तक) के लिए 17.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें से 10.00 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और 12.57 करोड़ रुपये (प्रारंभिक शेष, केंद्रीय अंश और अन्य प्राप्तियों सहित) का उपयोग किया जा चुका है।
5. एनएसएपी:- इस योजना के अंतर्गत, पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र को 8.34 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की गई है, जिसमें से 10.57 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

6. डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई: डब्ल्यूडीसी-1.0 के अंतर्गत, संघ राज्य क्षेत्र बनने के बाद, 2020-21 के दौरान लद्दाख को पहली बार 6.148 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 परियोजनाओं की अवधि मार्च, 2022 में समाप्त हो गई। भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के रूप में कार्यक्रम को जारी रखने की स्वीकृति दी। संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख को कुल 60.86 करोड़ रुपये (100% केंद्रीय अंश) का परियोजना परिव्यय स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2022-23 से, लद्दाख को 26.05 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और संघ राज्य क्षेत्र ने दिनांक 7.8.2025 तक 21.91 करोड़ रुपये का व्यय दर्ज किया है।

उपरोक्त सभी योजनाएँ/कार्यक्रम लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सक्रिय सहयोग से कार्यान्वित किए जाते हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि का आवंटन एक सतत प्रक्रिया है। निधि का आवंटन उनके पास उपलब्ध शेष राशि, योजनाबद्ध आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़/उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने, योजनाओं के अंतर्गत पहले से आवंटित निधि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने, प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित-करने और जमीनी स्तर पर वास्तविक आवश्यकता का आकलन करने के आधार पर किया जाता है।

****